(43)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सं0–निग/साखा (पथ)–आरोप–01/2019 673(E) पटना, दिनांक :– 23/1/19

आदेश

चूँकि पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का यह समाधान हो गया है कि बेतिया नगर कालीबाग थाना कांड संख्या–446/16 दिनांक–18.08.2016 धारा–188/409 भा0द0वि0 एक्ट के तहत नामजद अभियुक्त श्री सुनील कुमार पे0 राजेन्द्र प्रसाद उम्र–34 वर्ष सा0 दाउदनगर, वार्ड नं0–13, थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद तत्कालीन कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, विशेष कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, विशेष कार्य प्रमंडल, बेतिया के पदस्थापन काल में स्टेजिंग एवं शटरिंग मैटेरियल का प्रभार नहीं देने के आरोपो के लिए उनके विरूद्ध धारा–188/409 भा0द0वि0 एक्ट के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम दृष्ट्या केस बनता है।

और चूँकि कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध, जो राज्य सरकार/विभाग की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है।

और चूँकि श्री सुनील कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, विशेष कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा ऐसे लोक सेवक है जिन्हें विभाग की मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते है और यह अभिकथित है कि उन्होनें अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 (अधिनियम संख्या–1) धारा 197 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा–188/409 भा0द0वि0 एक्ट के अधीन अपराधों के लिए उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

23/1/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– सं0 673(E) दिनांक :– 23/1/19

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उनके पत्रांक–42 अनु0 दिनांक–04.01.2019 के प्रसंग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/1/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

23/1/19

Sec-31/RAJ KISHOR JI/ LETTER.DOCD.